न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री श्रवणसिंह राठौड आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–29/22 (राजस्व वाद)

दायर दिनाकः–29.06.2022
निर्णय दिनाकः–19-6-24

अनवान

1– श्री विमल पिता कुरीया डामोर जाति मीणा आदिवासी उम्र वयस्क
2– श्री चन्द्रलाल पिता कुरीया डामोर जाति मीणा आदिवासी उम्र वयस्क
3– श्री शिवलाल पिता कुरीया डामोर जाति मीणा आदिवासी उम्र वयस्क
4– श्री राजमल पिता कुरीया डामोर जाति मीणा आदिवासी उम्र वयस्क सभी निवासी सुरमणा पटवार हल्का ओबरी जिला डूँगरपुर
5– श्री दिनेश पिता कान्ति डामोर जाति मीणा आदिवासी उम्र वयस्क सभी निवासी सुरमणा पटवार हल्का ओबरी जिला डूँगरपुर

(वादीगण)

बनाम

1– श्री शंकर पिता कुरीया मीणा जाति मीणा आदिवासी उम्र वयस्क
2– श्री धुला पिता कुरीया मीणा जाति मीणा आदिवासी उम्र वयस्क
3– श्रीमति रमतु पिता कुरीया मीणा जाति मीणा आदिवासी उम्र वयस्क सभी निवासी बोरखेड पटवार हल्का अम्बाडा जिला डूँगरपुर
4– भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी–श्री विजय कुमार जैन
वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 – एक पक्षीय
वकील प्रतिवादी संख्या 4 –पैरोकार सरकार
वाद बाबत् अर्न्तगत धारा 88,209 आरटीए व धारा 136 आरएलए

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अलग अलग गॉव के निवासी है। वादीगण के संयुक्त खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भुमि मौजा ओबरी मे खाता संख्या 85/95 कुल खसरे 2 कुल रकबा 1.2944 हेक्टर की स्थित है जिसमे वादीगण प्रत्येंक का 1/8 समान हिस्सा है जिसका वर्तमान खाता संख्या 60/52 है। वादीगण के पिता व दादा का नाम कुरीया पिता माना डामोर हो वह गॉव ओबरी के निवासी थे जबकी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता का नाम कुरीया पिता माना मीणा होकर गॉव बोरखेड के निवासी थे। वादीगण के पिता की मृत्यु वर्ष 2014 मे हुई। वादीगण के पिता की मृत्यु के पुर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजस्व कार्मिको

के मिली भगत कर वादग्रस्त खाते मे अपना नाम दर्ज रेकार्ड करवा लिया गया था जिसकी जानकारी वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भुमि को अपना बता कब्जा करने का प्रयास किया गया तब हुई। वादग्रस्त आराजी पर अपने पुर्वजो के समय से आज दिन तक वादीगण काबिज हो काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त खाते के राजस्व रेकार्ड मे शुद्वि की जाकर वादीगण का नाम दर्ज रेकार्ड किया जा वादीगण की भुमि घोषित किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर्ड किया जा नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी किए गए,प्रतिवादीगण के द्वारा सम्मन लेने से इन्कार किया गया। दिनाक 11.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से पैरवी हिदायत नही होना जाहीर किया गया। दिनाक 29.04.2024 को प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किए जाने के आदेश दिए गए। दिनाक 10.06.2024 को गवाह राजमल के बयान लेखबद्व किए गए एव दस्तावेज प्रर्शीत करवाए गए। प्रतिवादी 4 भुमिधारी हो वाद पत्र मे फार्मल पक्षकार होने से जबाव को रेकार्ड पर लिया गया साक्ष्य की आवश्यकता नही होने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। प्रतिवादी भुमिधारी का जवाब फॉर्मल होने से तनकीयात् विरचना किया जाना आवश्यक नही होने से पत्रावली वास्ते एक पक्षीय बहस हेतु नियत की जाकर बहस वादीगण सुनी गई।
हमने पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज,शपथ पत्र अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता का नाम एक समान कुरीया पिता माना होना वादग्रस्त पाया गया है। वादीगण के पिता व दादा का नाम प्रतिवादी के पिता के नाम से मेलखाता होने से राजस्व रेकार्ड त्रूटी हुई है। वादीगण मौजा सुरमणा पटवार हल्का ओबरी के जमाबन्दी खतोनी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 60/52 के कुल खसरा दो खसरा नम्बर 4209/3908 व 4397/3908 कुल रकबा 1.2944 हेक्टर मे इन्द्राज दुरस्ती कर अपना नाम दर्ज करवाए जाने व खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।
अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जा निर्णय एव प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है कि वादग्रस्त मौजा सुरमणा पटवार हल्का ओबरी के जमाबन्दी खतोनी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 60/52 के कुल खसरा दो खसरा नम्बर 4209/3908 व 4397/3908 कुल रकबा 1.2944 हेक्टर मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर खाते मे इन्द्राज दुरस्ती की जाकर वादीगण का नाम दर्ज रेकार्ड किया जावे नियमानुसार पालना हेतु तहरीर प्रतिवादी संख्या 4 को जारी होवे जो पालना रिर्पोट आदेशानुसार प्रस्तुत करे।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर निर्णय एव प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है बाद पालना प्रारम्भिक डिक्री नियमानुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी होवें।

निर्णय आज दिनाक 19/6/24 .....को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्रवणसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रारम्भिक, डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी
बईजलास – श्री श्रवणसिंह राठौड **आर0ए0एस0** उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

मुकाम – सागवाडा

श्री विमल वगेरा
निवासी सुरमणा

बनाम

शंकर वगेरा
नि0 वोरखेड

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 रा0टी0एक्ट एव 136
रा.ले.रे.एक्ट जारी करने

प्रकरण संख्या 29/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री मणीलाल तीरगर आर0ए0एस0 मनिजजानिब मुद्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एव प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर वादग्रस्त मौजा सुरमणा पटवार हल्का ओबरी के जमाबन्दी खतोनी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 60/52 के कुल खसरा दो खसरा नम्बर 4209/3908 व 4397/3908 कुल रकबा 1.2944 हेक्टर मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर खाते मे इन्द्राज दुरस्ती की जाकर वादीगण का नाम दर्ज रेकार्ड किया जावे नियमानुसार पालना हेतु तहरीर प्रतिवादी संख्या 4 को जारी होवे। पालना रिर्पोट निर्णय अनुसार प्रस्तुत करे।

नीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर.....फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19....मास 06....सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत ईजराय हुक्मनामा मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा